<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 19/2021 **दायर दिनांकः 25.06.2021**

उनवान

1. फ्रेन्क रोडा आयु 67 वर्ष पुत्र टाइटस रोडा जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थी :—विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

अप्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 22/07/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता संख्या 175 की मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार ख0नं0 121 रकबा 2.84 है0 भूमि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रार्थी के पिता टाइटस रोडा का स्वर्गवास प्रार्थी के नाबालिग अवस्था में हो गया था। प्रार्थी के पिता के स्थान पर नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम फ्रेंक थियोफिल पुत्र टाईटस रोडा अंकित कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम फ्रेंक रोडा पुत्र टाईटस रोडा है। प्रार्थी के आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में भी प्रार्थी का नाम फ्रेंक रोडा दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी के ऋण लेने में नाम खाते में गलत हो जाने से काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी को आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। प्रार्थी ने आज दिनांक 24.06.2021 को नकल प्राप्त कर श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू से नाम दुरूस्ती का निवेदन किया तो उनने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी। इस वजह से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थी का नाम दुरूस्त करवाया जाना सम्भव नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित है जिसे सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:28 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम फ्रेंक रोडा पुत्र टाइटस रोडा करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रार्थना पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के अन्तर्गत pw1 का शपथ पत्र पेश किया गया। अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में फ्रेंक थियोफिल पुत्र टाइटस रोडा के स्थान पर फ्रेंक रोडा पुत्र टाइटस रोडा की घोषणा की जाकर खाते दुरूस्ती करवाई जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जावे तथा प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम पिपलोद की खाता सं0 175 की ख0नं0 121 का रकबा 2.84 है0 में प्रार्थी का नाम फ्रेंक थियोफिल पुत्र टाइटस रोडा दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड, आयकर विभाग का पेन कार्ड व कार्यालय ग्राम पंचायत अर्डान्द का प्रमाण पत्र दिनांक 29.06.2021 अनुसार फ्रेंक थियोफिल पुत्र टाइटस रोडा का सही नाम फ्रेंक रोडा है इसे फ्रेंक रोडा के नाम जाना जाता है। अतः न्याय हित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, विवादित भूमि ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता संख्या 175 के ख0नं0 121 रकबा 2.84 है0 भूमि में प्रार्थी का नाम फ्रेंक थियोफिल पुत्र टाइटस रोडा के स्थान पर **फ्रेंक रोडा पुत्र टाइटस रोडा** राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:28 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू, जिला बारां